प्रति,

डॉ मोहन यादव,
माननीय मुख्यमंत्री,
म.प्र. शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल–462004.

विषय– प्रदेश की हजारों सहकारी आवासीय समितियों में समय पर संचालक मण्डल के निर्वाचन न होने से प्रशासकों द्वारा करोड़ो का भ्रष्टाचार करने बाबत्।

महोदय,

1. म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 49(ग) के तहत संचालक मण्डल के कार्यकाल के अवसान की अवधि के पूर्व ही निर्वाचन प्राधिकारी सहकारी निर्वाचन सतपुड़ा भवन, भोपाल उपायुक्त सहकारिता एवं उपपंजीयक सहकारी समितियों का यह दायित्व है कि ऐसी सहकारी आवासीय समितियों का निर्वाचन समय मे संपन्न करा देवें। लेकिन व्यापक रूप से भ्रष्टाचार कराने तथा करने के आशय से जिले के उपपंजीयक सहकारी समितियां जानबूझकर ऐसी समितियों के संचालक मण्डल का निर्वाचन नही कराते और न ही समय पर निर्वाचन कराने हेतु अपने अधीनस्थ अमले को हिदायत देते है परिणाम स्वरूप सहकारी आवासीय तथा संधारण समितियों के संचालक मण्डल के कार्य काल समाप्त होते ही किसी न किसी सहकारी निरीक्षक को प्रशासक का कार्यभार सौंप दिया जाता है।
2. म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(7)(ख) के तहत प्रशासक के कार्यभार ग्रहण करने के छः माह की कालावधि के भीतर संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन अनिवार्य रूप से संपन्न हो जाना चाहिए लेकिन इस अवधि में प्रशासकगण समितियों में भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से संचालक मण्डल के निर्वाचन करने हेतु सोसाइटी के सदस्यों की सूची जानबूझकर निर्वाचन पदाधिकारी को नही भेजते यदि भेजते भी है तो संबंधित संस्था की उपविधि तथा म.प्र. सहकारी समिति नियम 1962 का विधिवत पालन नही करते फलस्वरूप निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित सहकारी आवासीय समिति का निर्वाचन संपन्न नही करा पाते और प्रशासकगण सहकारी आवासीय समितियों मे प्रशासक के रूप में कार्यरत बने रहते है।
3. फिर भी यदि प्रशासक के कार्यभार ग्रहण करने के छः माह के भीतर सोसाइटी के संचालक मण्डल का निर्वाचन संपन्न नही हो पाता तो म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(7)(ग) के तहत राज्य सरकार लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी सोसाइटी का निर्वाचन संपन्न कराये जाने की अवधि को कुल मिलाकर एक वर्ष से अनअधिक की कालावधि के भीतर निर्वाचन संपन्न करा लेना अनिवार्य है। उक्त अधिकार जो केवल राज्य सरकार को है, राज्य सरकार के अधिकार का अनाधिकृत उपयोग कर उपपंजीयक इस एक वर्ष की अवधि में सोसाइटी के संचालक मण्डल का निर्वाचन संपन्न करने मे असमर्थ है तथा अनाधिकृत तौर पर एक वर्ष की अवधि बीत जाने के बाबजूद प्रशासकों को सहकारी आवासीय सोसाइटीज में प्रशासक को बैठाये रखते है।
4. सहकारी निरीक्षक एवं प्रशासकगण सहकारी आवासीय समितियों के फण्ड का दुरूपयोग मनमानी तरीके से करते है तथा संबंधित संस्था के वाइलाज एवं म.प्र. सहकारी समिति नियम 1962 के नियमों का पालन कर संस्था के सदस्यों की आम सभा भी नही कराते तथा संस्था के सदस्यों की आम सभा से किसी प्रकार का अनुमोदन भी प्राप्त नही करते प्रदेश के शीर्षस्थ अधिकारियों को लिखित मे शिकायते करने के बाबजूद कोई कार्यवाही नही होती है जिसके कारण संस्थाओं के फण्ड का करोड़ो में प्रशासक एवं वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में दुरूपयोग एवं भ्रष्टाचार कर रहें।

5. मै जिस आवासीय सोसाइटी का निवासी हूँ उस सोसाइटी के पैसे का दुरूपयोग प्रशासकगण तथा उपपंजीयक सहकारिता पिछले 23 माह से कर रहे है तथा किसी भी प्रकार के नियम कानून का पालन नही किया और वरिष्ठों को शिकायते करने पर कूड़े दान में पटक दिया गया तथा भ्रष्टाचार नीचे से उपर तक सब मिलाकर कर रहे है वरिष्ठ अधिकारी इस करोड़ो के भ्रष्टाचार में लिप्त न होते तो स्वभाविक रूप से उपपंजीयक, तथा प्रशासकों के विरूद्ध कार्यवाही करते।
6. अतः निवेदन है कि कृपया इस प्रकार समस्त सहकारी आवासीय समितियों की सूची तथा पिछले दो वर्षो मे किस सोसाइटी के निर्वाचन कब हुए थे, क्यो नही कराये गये तथा शासन की अनुमति के बगैर प्रशासकों को दो–दो वर्षो से सहकारी आवासीय समितियों मे प्रशासकों को बैठा कर रखा गया है की सूची बनाकर जानकारी लेंगे तो एक व्यापक भ्रष्टाचार का परिदृश्य सामने आ जावेगा।
7. निर्वाचन प्राधिकारी, सहकारी निर्वाचन सतपुड़ा भवन का पद 15/10/2025 करीब साढ़े तीन माह से रिक्त पड़ा है जिस कारण वर्तमान सहकारी आवासीय समितियों के निर्वाचन अवरूद्ध है कृपया प्रदेश के निर्वाचन प्राधिकारी सहकारी निर्वाचन के पद को किसी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को नियुक्ति दी जावें जिससे सहकारी निर्वाचन स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष तरीके से संपादित हो सके। मेरे द्वारा एवं सोसाइटी के अन्य सदस्यों के द्वारा पूर्व मे प्रेषित शिकायतों पर विभाग ने कोई ठोस कार्यवाही क्यों नही की कृपया उनसे प्रतिवेदन प्राप्त करने का कष्ट करें। आशा है सहकारी निरीक्षकों द्वारा सहकारी आवासीय समितियों मे प्रशासक के रूप मे किये जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार की जॉच करावेंगे।

30/1/2026

स्थान – भोपाल
दिनांक : 30/01/2026

आर.बी.प्रजापति, (पूर्व आई.ए.एस.)
427, प्रीमियर ओर्चर्ड कॉलोनी,
करोंद बाई पास रोड, भोपाल–462037
मो.नं. 9752068493

प्रति,

श्री अनुराग जैन साहब, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वल्लभ भवन भोपाल 462004 की ओर भेजकर निवेदन है कि सहकारी निरीक्षकों द्वारा प्रशासक के रूप मे किये जा रहे भ्रष्टाचार की जॉच करवाने के निर्देश विभाग को देने का कष्ट करें तथा निर्वाचन पदाधिकारी का पद पिछले साढ़े तीन माह से रिक्त है उस पद पर किसी सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव को नियुक्त करने के लिए विभाग को निर्देश देने का कष्ट करें।

30/1/2026

आर.बी.प्रजापति, (पूर्व आई.ए.एस.)
427, प्रीमियर ओर्चर्ड कॉलोनी,
करोंद बाई पास रोड, भोपाल–462037
मो.नं. 9752068493